न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 63/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. देउ पत्नी स्व. पारसमल गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीयां

बनाम

1. उदयराम आत्मज गणेश गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नेनुराम आत्मज गणेश गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. तुलसी पत्नी लच्छीराम गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. छगु पुत्री रतना गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत — अधिवक्ता प्रार्थीयां

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीयां के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 875 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 हैक्ट., कुल किता 02 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 207 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीयां की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीयां को काश्त कर, काश्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने के दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीयां की उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 उक्त आराजियात के पड़ौसी होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीयां ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीयां ने विपक्षी को अन्तिम बार दिनांक 30.05.2018 को कहा । लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो गये है, जिससे प्रार्थीयां को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.06.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीयां स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 875 रकबा 0.12 हैक्ट., आराजी संख्या 2216/876 रकबा 0.04 हैक्ट., कुल किता 02 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीयां सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीयां इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीयां द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा